न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—258 / 2019 / 223 (2019 / 00258)

1- श्रीमती कमला पत्नी स्व0 नाथूलाल, जाति भांबी,
2- दीनदयाल उर्फ दयाल पुत्र स्व0 नाथूलाल,
3- श्रीमती रेखा पुत्री स्व0 नाथूलाल, पत्नि नेमीचंद,
4- सुश्री पार्वती पुत्री स्व0 नाथूलाल,
समस्त जाति भांबी, निवासी गणेशपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नाथू पुत्र रामा,
2. पांचू पुत्र रामा,
3. लक्ष्मण पुत्र घीसा,
4. जयराज पुत्र घीसा,
5. विनोद पुत्र पूना,
समस्त जाति भांबी, नि0 गणेशपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विद्वान निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 1.7.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 33 / 2018.

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह रावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शिवस्वरूप माथुर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंटस संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 30.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय दिनांक 1.7.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस / प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ग्राम गणेशपुरा, तह0 ब्यावर के खसरा नंबर 558 रकबा 2—14—10 किस्म चाही— खसरा नंबर 350 रकबा 00—01—10 किस्म गै0मु0 चाह स्थित है जो वादीगण की खातेदारी में है वादीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है । वादी संख्या 1 के अजमेर में नौकरी करने के कारण वादीगण ने गत वर्ष जून 2017 में अपनी उक्त आराजी को अपनी इजाजत व इच्छा

से प्रतिवादी संख्या 1 को खड़ाई कर मात्र कातिरे की फसल काश्त करने के लिये इस शर्त पर दी की उत्पन्न पैदावार का आधा हिस्सा वादीगण को देगें व आधी पैदावार प्रतिवादी संख्या 1 अपने पास रखेगा किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बेईमानी करने व पैदा हुई फसल ज्वार, बाजरा का पूरा आधा हिस्सा न देकर कम हिस्सा दिये जाने के कारण वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व उनके परिवार को वादग्रस्त आराजी से रवाना कर अपना कब्जा बरकरार रखा व वादीगण ने इस साल अपनी खातेदारी व कब्जे की भूमि को काश्त करने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 को न देकर अपने स्वंय के द्वारा काश्त करने का निश्चय किया । इससे नाराज होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने गैर कानूनी रूप से वादग्रस्त आराजियात में प्रवेश कर ऐलानिया धमकी दी कि इस साल की फसल तो हम ही काश्त करेंगे व इसी चाह से पानी का भी उपयोग करेगें एवं वादीगण को जबरन बेदखल करके कब्जा करके रहेगें । इस कारण यह यह आवेदन पत्र पेश करना पड़ा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 1.7.2019 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि विवादित आराजियात अपीलांटस की स्वंय की आराजी है जिसका इंद्राज राजस्व रिकार्ड में भी है व खातेदार काश्तकार होने के बावजूद यथास्थिति बाबत् आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । वर्तमान में फसल बिजाई का समय है ऐसी स्थिति में उक्त आराजी पर कातिरे की फसल नहीं बोयी गई तो कोई उपज पैदा नहीं होगी । अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं कर त्रुटि कारित की है । विवादित आराजियात पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त न होकर अपीलांटस विवादित आराजियात के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है जिनके कब्जे में अन्य व्यक्तियों द्वारा दखलदांजी किये जाने पर अधी0न्याया0 को अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने हेतु पाबंद करना आवश्यक था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर केवल मात्र यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये है जो त्रुटिपूर्ण आदेश है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की आराजियात में अपीलांटस के कब्जे में किसी प्रकार का दखल उत्पन्न नहीं करने, जबरन प्रवेश नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पो0 को पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात की खातेदार काश्तकार श्रीमती भूरी थी जिसने उपरोक्त आराजियात को घीसा पुत्र चन्दा सिंह, जाति रावत को बेचान कर दी थी जिससे घीसा विवादित आराजियात का खातेदार हो गया था । घीसासिंह ने अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं स्व0 श्रीमती हमीरी बेवा उजीरा, जाति भांबी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.12.1975 को विक्रय कर वास्तविक कब्जा काश्त संभला दिया

था तब से अप्रार्थीगण/रेस्पो0 ही विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित आराजियात से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है न ही कब्जा काश्त है । अपीलांटस का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । ग्राम गणेशपुरा, तहसील ब्यावर स्थित खसरा नंबर 558 रकबा 2–14–10 चाही–2, खसरा नंबर 350 रकबा 0–1–10 चाह कुल रकबा 2–15–10 बीघा भूमि जमाबंदी संवत् 2070 के खाता संख्या 120 में दीनदयाल नाबालिग नाथू, रेखा बालिग, पार्वती नाबालिग पुत्रीयां नाथूलाल बसरबराही कमला माता खुद व मु0 कमला पत्नि नाथूलाल कौम भांबी साकिन देह खातेदार दर्ज है जो कि वादी/प्रार्थीगण/अपीलांटस है । अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमियां के पुराने खसरा नंबर 506 रकबा 2–5–0 के साथ अन्य भूमि के खातेदार श्रीमती भूरी दर्ज थी । श्रीमती भूरी ने उक्त भूमि घीसा पुत्र चंदासिंह रावत, निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील ब्यावर को विक्रय की थी एवं घीसासिंह द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नाथू व पांचू व श्रीमती हमीरी बेवा उजीरा जाति भांबी को दिनांक 18.12.1975 को क्रय की थी तथा क्रय के आधार पर अप्रार्थीगण विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आये है । प्रथमदृष्टया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व श्रीमती हमीरी का बयनामा राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 42 के उल्लघंन में हुआ प्रतीत होता है क्योंकि चौसाला जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में मु0 भूरी बेवा माना व भूरी बेवा हजारी कौम भांबी की साकिन देह की खातेदारी की भूमि रही है जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या रही । अनुसूचित जाति की सदस्य द्वारा विवादित भूमि घीसा पुत्र चंदासिंह रावत को विक्रय का कथन किया गया है । घीसा पुत्र चंदा रावत अनुसूचित जाति का सदस्य न होकर स्वर्ण जाति का सदस्य रहा है जिसे उक्त भूमि क्रय करने का राज0काश्त0अधि0 में प्रतिबंधित होने से क्रय करने का अधिकार नहीं था तथा उक्त क्रय कानूनन शून्य होता है। वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थीगण/अपीलांटस खातेदार दर्ज है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण धारा 42 राज0काश्त0अधि0 से प्रभावित मानकर आदेश पारित किया गया है जो विधिसंगत प्रतीत होता है । पक्षकारान के हक व अधिकार मूल वाद में बाद साक्ष्य तय किये जावेगें । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यक प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.7.2019 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर